न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 12/2015
दायर दिनांक : 09.09.2015
निर्णय दिनांक : 16.10.2025

उनवान

1. श्रीमती गमेरी दुख्तर रता गुर्जर निवासी सांवता तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता लालू गुर्जन निवासी सांवता तहसील भूपालसागर
2. भेरा पिता आशा ढोली निवासी सांवता तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़

उपस्थिति : 1. श्री हरीश जायसवाल, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री गोपाल दाधीच, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जिसके संक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि :

यह है कि मौजा ग्राम सांवता पटवार हल्का भूपालनगर के हल्के बैरूनी में मुझ प्रार्थिया की खातेदारी आराजियात जिसके हाल आ.सं. 1571 रकबा 0.74 है., आ.सं. 1572 रकबा 0.04 है., आ.सं. 1573 रकबा 0.74 है. आ.सं. 1574 रकबा 0.91 है. कुल 4 रकबा 2.43 है. व खाता सं. 56 आ.सं. 1790 रकबा 1.64 है., स्थित है। जो मुझ प्रार्थिया की खातेदारी में होकर मैं ही कब्जे काश्त हूं प्रार्थना पत्र के साथ जमाबंदी व नक्शा ट्रेस साथ संलग्न है। पैरा एक में वर्णित मुझ प्रार्थिया की आराजियात पर जाने के लिये विगत 120 वर्षो से मुझ प्रार्थिया और मेरे बाप दादाओं के समय से आराजियात का रास्ता गांव के आम रास्ते से आ.सं. 1784 व 1785 सेएवं आ.सं. 1789 में से होकर जाता है जिसे विगत कई कई वर्षो से इस रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं बेरोकटोक उक्त आराजियात से होकर आने जाने का सुखाधिकार मैं प्रार्थिया और गांव वाले भोग रहे थे। अप्रार्थी भेरा पिता आशा ढोली की आराजी जिसके आ.सं. 1784, 1785 से होकर एक मात्र रास्ता मुझ प्रार्थिया के खेत पर जाता है। इस पर अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी पर आने जाने के वर्षो पुराने आम रास्ते पर दिनांक 07.08.2012 को जे.बी.बी. से खुदाई कर डोल डलवा कर रास्ता बंद कर दिया जिससे मेरे खते पर आने जाने का रास्ता बंद हो गया मेरे मवेशी और खेती के साधन खेत पर ही पडे हैं उन्हें लाने ले जाने के लिए रास्ता नही है। मुझ प्रार्थिया के पुत्र की मोटर साईकिल भी खेतपर ही पडी है रास्ता अवरूद्ध हो जाने के कारण आ जा नहीं सक रहे हैं। खड़ी फसल खराब हो रही है। मुझ प्रार्थिया द्वारा इस बाबत अप्रार्थीगण को कहा कि रास्ता क्यों बंद किया है तो लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये और अप्रार्थी हाथों में लाठिया लेकर आने जाने का रास्ता अवरूद्ध किये हुऐ हैं। आ.सं. 1784, 1785 अप्रार्थी भेरा के खाते की होकर उसी में आम रास्ता विगत 120 वर्षो से बना हुआ है और आ.सं. 1789 बिलानाम सरकार होकर इसमें रास्ते बाबत आमजन व मैं प्रार्थिया वर्षो से उपभोग करते आ रहे हैं इसलिए आराजियात पर जाने का रास्ता खुलवाया जाना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री गोपाल दाधीच ने अधिकार पत्र पेश किया एवं रास्ता दिया जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया। प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से बिन्दुवार रिपोर्ट मंगवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gegoriya
Date: 2025.10.31 19:27:01 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण में वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थी व राजपेरोकार की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी को अप्रार्थी की आराजी से रास्ता पास की खातेदारी आराजी से रास्ता दिया जाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार भूपालसागर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता दिया जाने में कोई आपत्ति नही होना बताया।
2. हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भूपालसागर से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :—

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

3. क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है, अगर हां तो रास्ते का उल्लेख करे – मय नक्शा टेस व नकल जमाबंदी
प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 अनुसार प्रार्थिया की आराजी पर जाने हेतु खातेदारी आ.न. 1784 रकबा 0.28 है. में से 16 मीटर आ.स. 1785 रकबा 0.45 है. मे से 64 वर्गमीटर एवं बिलानाम आ.स. 1786 रकबा 0.91 है. मे से 176 वर्गमीटर कुल 256 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग में आएगी। जिस पर रास्ता दिया जाना उचित है। उक्त 256 वर्गमीटर की भूमि की कीमत 32,448 रूपए बनती है।

4. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो क्या प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग निकटतम है एवं इसमें किसी भी प्रकार से खेती योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करावें।

5. यदि पक्षकारान रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थीगण की आराजियात चाहते है तो उसका रकबा नक्शा टेस मय पर्चा मौका संलग्न करावें। संलग्न पत्रावली है।

6. यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तो आप प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामा मे से रास्ते देने बाबत सहमति का प्रयास करें एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संवंध में सहमति विवरण प्रस्तुत करावें
मौका रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 एवं 09.10.2025 संलग्न है।

7. सहमति नही होने की स्थिति में लघुतम रास्ता प्रस्तावित कर प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौडाई एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगुने की गणना क्षेत्रफल से कर राशि प्रस्तावित करे। मय पर्चा मौका ।
तहसीलदार भूपालसागर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार रास्ते की चौडाई 4 मीटर व लंबाई 64 मीटर से कुल क्षेत्रफल 256 वर्गमीटर होता है। वर्तमान डीएलसी दर 32,448 प्रति है0 से रकबा 256 वर्गमीटर की मालियत 32,448 रूपए बनती है। जिसका दुगुना करने पर कुल राशि 64,896 रूपए होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिंदुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा सांवता पटवार हल्का भूपालनगर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आ.स. 1571 रकबा 0.74 है. आ.स. 1572 रकबा 0.04 है. आ.स. 1573 रकबा 0.74 है. आ.स. 1574 रकबा 0.91 है. है। प्रार्थिया की आराजियात में आने जाने हेतु आ.स. 1784 रकबा 0.28 है. में से 16 मीटर आ.स. 1785 रकबा 0.45 है. मे से 64 वर्गमीटर एवं बिलानाम आ.स. 1786 रकबा 0.91 है. मे से 176 वर्गमीटर कुल 256 वर्गमीटर कुल 4 मीटर चौडाई व 64 मीटर लंबाई का रास्ता चाह रहे है। रास्ता दिए जाने में तहसीलदार भूपालसागर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है व सशुल्क रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डीएल सी दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:– आदेश –:

परिणामस्वरूप प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सांवता पटवार हल्का भूपालनगर के हल्के बैरूनी में स्थित है जिसके हाल आराजी संख्या 1571, 1572, 1573, 1574 में आने जाने हेतु विपक्षी की आ0स0 1784 रकबा 0.28 है. में से 16 मीटर आ.स. 1785 रकबा 0.45 है. मे से 64 वर्ग मीटर एवं बिलानाम आ.स. 1786 रकबा 0.91 है. मे से 176 वर्गमीटर कुल 256 वर्गमीटर कुल 4 मीटर चौडाई व 64 मीटर लंबाई है। जिसका रकबा 256 वर्गमीटर है जो नक्शा ट्रेस व पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 22.05.2024 व 09.10.2025 संलग्न है। का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजियात पर पहुंच हेतु कायम किया जावे। उक्त भूमि की डी एल सी दर 12,67,500 रूपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 256 वर्ग मीटर की कुल मालियत 32,448 रूपए का दुगुना 64,896 रूपए अक्षरे चौसठ हजार आठ सौ छियानवे रूपए राशि प्रार्थी से वसूल कर अप्रार्थी को उपलब्ध करवाई जावे। उक्त राशि उपलब्ध कराने के प्श्चात इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा, केवल आने जाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.31 19:27:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.31 19:27:01 IST
Reason: SelfAttested